

**कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा
एवं प्रानि. विभाग, राजस्थान, जयपुर**
‘विज्ञप्ति’

01.01.2004 के पश्चात राज्य सरकार एवं विद्युत कर्मचारियों में नियुक्त राज्य कर्मचारियों की मेडिकलेम पॉलिसियों का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। मेडिकलेम पॉलिसी का वर्ष 2012-13 के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है। पॉलिसी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उन्हीं डीमी चिकित्सालयों, जिन्होंने CGHS पैकेज/दरों पर बीमित को चिकित्सा सेवाएं देने की महमति दी है उन्हीं डीमी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज कराने का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। इलाज की सुविधा CGHS पैकेज दर एवं पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुरूप अधिकतम रु. 2 लाख तक ही देय होगी।

बीमित, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में भर्ती के समय अपनी पहचान चिकित्सालय को उपरोक्त करे एवं नियारित आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें। यह आवेदन उन सभी अनुमोदित चिकित्सालयों के रिसेप्शन काउन्टर पर उपलब्ध है। बीमित द्वारा उपरोक्त औपचारिक रूप से पूर्ण नहीं किये जाने पर यदि अस्पताल द्वारा अपनी दरों पर इलाज खर्च की वसूली की जाती है तो नियम द्वारा मात्र CGHS दरों पर ही भुगतान देय होगा, अन्तर राशि बीमित द्वारा ही बहन की जायेगी।

चिकित्सालय द्वारा CGHS दर से अधिक राशि वसूल किये जाने पर बीमित अविलम्ब राज्य एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं टीपीए को सूचित करे। यदि कर्मचारी चिकित्सालय में अपनी पहचान उपरोक्त नहीं करता है एवं CGHS दर से अधिक राशि वसूलने की सूचना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं टीपीए को नहीं देता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेडिकलेम पॉलिसी का वर्ष 2012-13 के संचालन के लिए अनुयुता टीपीए नियुक्त है, जिसका पता निम्न है:

अनुयुता टीपीए,

बी-204, अमृत कलश, गोपालपुरा, टोक, रोड़ जयपुर।

फैक्स नं. 0141-2700792, फोन नं. 0141-6596565,

टील फ्री नं. - 18004251111

हैल्पडेस्क मोबाइल नं. 8764176164

ईमेल : jaipur@anyutatpa.com, cashless@anyutatpa.com

बीमित को पुनर्भरण राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा सके, इसके लिए उपरोक्त प्रपत्र में अपने बैंक का वेतन बैंक खाता नं., फोन नम्बर व मोबाइल नं. का स्पष्ट अंकन करें। बैंक संख्या का संख्या के प्रमाण हेतु पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति भी संलग्न करें। इलाज के लिए भर्ती के समय टीपीए से अवश्य सूचित करें। कैशलैस चिकित्सा (Critical illness एवं Surgical मामलों में देय है) सुविधा उपरोक्त लिए भर्ती के साथ टीपीए से Pre-authorisation लेवें। पुनर्भरण के दावे अस्पताल से छुट्टी के दिवस की अवधि में टीपीए को भिजवा देवें। मेडिकलेम पॉलिसी वर्ष 2012-13 के नवीन प्रावधायी निधि विकास एवं उन्हीं डीमी चिकित्सालयों की नवीन सूची व अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in या www.anyutatpa.com देखें।

राजस्थान परिका

दिनांक 25-4-12

dipr/c/3369/2012

अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि ‘डी’ ब्लॉक

विज्ञ भवन, ज्योतिनगर, जयपुर

दूरभाष : 0141-2740219

फैक्स : 0141-2740292